

# कार्यालय – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक/प्र०श्रोलि०-४/१८७५६-६५ /२०१६-१७

दिनांक: २१.१२.१६

प्रबंधक,

द मॉडल जू०हा०स्कूल

10/456 खलासी लाइन कानपुर नगर।

**विषय-** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

शासनादेश सं०- 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08-05-2013 में निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार तथा अधिकारी के निरीक्षणपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 28.11.2016 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं द मॉडल जू०हा०स्कूल 10/456 खलासी लाइन कानपुर नगर को तीन शैक्षिक सत्र हेतु कक्षा प्री से कक्षा 8 तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं—

१—मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

२—विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांबंध १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010(उपांबंध २) के उपबन्धों का पालन करेंगा।

३—विद्यालय प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उहें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

४—पैरा— ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

५—सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

६—विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रदेश देने से इकार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्तीर्णन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

III. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

IV. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःस्त्यता ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम् अर्हतायें अर्जित करें।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विर्तिदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करें।

7— विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यवर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8— विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विर्तिदिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुवेधायें निमानुसार हैं—

क्र०सं०	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	5322.67 वर्ग गज
2	कुल निर्मित क्षेत्र	1926 वर्ग गज
3	क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	—
4	कक्षाओं की संख्या	10
5	प्रध्यापक –सह कार्यालय— सह भण्डारागार के लिये कक्ष	3
6	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	2/2
7	पेय जल सुविधा	सबमर्सिल पम्प उपलब्ध है।
8	बाधा रहित पहुँच	बाधा रहित पहुँच उपलब्ध है।
9	अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेल-कद उपस्कर्तों/पस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।

- 9— विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
- 10—विद्यालय भवनों या संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11—विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12—स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13—विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकान्टेंट द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14—आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जू0हा0 स्कूल/अंग्रेजी माध्यम/2016-17 ०७ है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16—सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- 17—संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18—विद्यालय में शिक्षण कार्य टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

*[Signature]*  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
*[Signature]*  
कानपुर नगर।

पृ०सं०/प्र०श्र०लि०-४/

/2016-17 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— शिक्षा निदेशक (ब०)उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
- 2— सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3— मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (ब०)कानपुर मण्डल कानपुर।
- 4— जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 5— अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 6— पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 7— संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
- 8— कार्यालय प्रति।

*[Signature]*  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
कानपुर नगर।

*[Signature]*

Secretary  
The Model School For  
Infants Society, Kanpur

**PRINCIPAL**  
The Model Senior Secondary School  
10/456, Khalasi Line  
Kanpur Nagar - 208001

*Susan Elias*